

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर  
क्रमांक: ई/चि.अ./एन-1219/2024/ दिनांक :

—:आदेश:—

डॉ० नेहा सैन, चि.अ. का इन सर्विस कोटे से उच्च अध्ययन हेतु निदेशालय के आदेश क्रमांक 108 दिनांक 14.07.2023 के द्वारा दिनांक 14.11.2022 से 13.11.2024 तक की अवधि का अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया गया था। चिकित्सक द्वारा प्रस्तुत अवकाश आवेदन पत्र के अनुसार निम्नानुसार अवकाश संशोधन किया जाता है:—

1. दिनांक 14.11.2022 से 25.10.2023 तक अध्ययन अवकाश।
2. दिनांक 26.10.2023 से 22.02.2024 तक प्रसूति अवकाश।
3. दिनांक 23.02.2024 से 13.03.2025 तक का अध्ययन अवकाश।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: ई/चि.अ./एन-1219/2024/12

दिनांक : 08/01/2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-2) विभाग राजस्थान जयपुर।
2. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, श्री कल्याण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल सीकर को प्रेषित कर लेख है कि राजस्थान सेवा नियमों के नियम 59 में निहित प्रावधानों के अध्यक्षीन अवकाश अवधि का वेतन का समायोजन अंतिम रूप से स्वीकृत अवकाशों के वेतन से कर लिया जाएगा अर्थात् यदि अवकाश वेतन के रूप में राशी का भुगतान अधिक कर दिया हो तो वह वसूल की जाएगी अथवा राशी देय बनती है तो भुगतान किया जावेगा।
3. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन।
4. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
5. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी एटीसी/डीपीसी/पीजी (राजपत्रित) अनुभाग मुख्यालय।
6. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को आदेश की प्रति विभागीय बेवसाईट पर अपलोड वास्ते।
7. डॉ० नेहा सैन, चि.अ., द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
8. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर।

Document certified by RAVI PRAKASH  
MATHUR <rpm272004@yahoo.co.in>

Digitally Signed by RAVI  
PARKASH MATHUR  
Designation: Director  
Date :07-01-2025 10:54:51